न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
44 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	03.07.2024	15.05.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषद्यि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजकुमार माहेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी निवासी वार्ड नं0 5 सोढाणियों की गली नासिरदा तह. देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स माहेश्वरी कोल्ड ड्रिक्स एण्ड स्वीट्स मेन मार्केट नासिरदा तह. देवली जिला टोंक पिनकोड–304507 मोबाईल नं0 8107000542
2–मैसर्स माहेश्वरी कोल्ड ड्रिक्स एण्ड स्वीट्स मेन मार्केट नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304507।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी की ओर से निर्माता फर्म के श्री भरत कुमार जैन उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 15.5.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.03.2024 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स माहेश्वरी कोल्ड ड्रिक्स एण्ड स्वीट्स मेन मार्केट नासिरदा तह. देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री राजकुमार माहेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स माहेश्वरी कोल्ड ड्रिक्स एण्ड स्वीट्स मेन मार्केट नासिरदा तह. देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राजकुमार माहेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजकुमार माहेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले, मिठाई नमकीन के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 8 मूल पैंक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **घी (श्री पार्श्व ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री राजकुमार माहेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजकुमार माहेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी(श्री पार्श्व ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर 38 एवं पैंकिग की दिनांक नवम्बर 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में रखे 8 मूल पैक पैक्ड **घी(श्री पार्श्व ब्राण्ड)** में से 1–1 लीटर के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी(श्री पार्श्व ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 1–1 लीटर पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार 4 भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग को गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3950 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3950 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/390 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/691/एक्ट/2024/904 दिनांक 15.03.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **घी (श्री पार्श्व ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से निर्मात फर्म के श्री भरत कुमार जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (श्री पार्श्व**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **घी (श्री पार्श्व ब्राण्ड)** जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने निर्माता फर्म प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी(श्री पार्श्व ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)**व **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0